रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 153] NEW DELHI THURSDAY, JUNE 1, 1972/JYAISTHA 11, 1894
सं० 158] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 1, 1972/ज्येष्ठ 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st June 1972

G.S.R. 304(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 127/72-Central Excises, dated the 1st May, 1972, the Central Government hereby fixes a tariff value of two hundred ten rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*.

[No. 149/72-CE/F. No. 7/4/72-CX.I]
S. R. NARAYANAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 जून, 1972

सा०का० नि० 304 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त

मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 मई, 1972 की अधिसूचना संख्या 127/72 के० उ० शु० को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 1 की उपमद संख्या (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए दो सौ दस रुपये प्रति क्विंटल टैरिफ मूल्य एतद्द्वारा नियत करती है ।

[संख्या 149/72-के० उ० शु०/फा० सं० 7/4/72-के० उ० शु०]

एस० आर० नारायणन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972